(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28/2014

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

शब्बू उर्फ नाना पुत्र अब्दुल रहूफ जाति मुसलमान निवासी भौला साहब की मस्जिद के पास बारॉ जिला बारॉ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री अरविन्द पंचौली अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 20.11.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल शब्बू उर्फ नाना पुत्र अब्दुल रहूफ जाति मुसलमान निवासी भौला साहब की मस्जिद के पास बारॉ जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा खेलने, अवैध हथियार रखने, मारपीट करने की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 1994 से 2011 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (6), अवैध हथियार (1) एवं मारपीट (4) के तहत दर्ज हुये है। इन सभी 11 प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय से अर्थदण्डा, प्रताडना से दण्डित किया गया है। इसके विरूद्व अन्तर्गत धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद [illegible] आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके वि[illegible] है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर जारी [illegible] इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया[illegible]कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर, इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:30:49 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 11 प्रकरणो मे न्यायालय से अर्थदण्डा, प्रताडना से दण्डित किया गया है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 1.7.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ मे वर्ष 1994 से 2011 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (6), अवैध हथियार (1) एवं मारपीट (4) के तहत दर्ज हुये है। इन सभी 11 प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय से अर्थदण्डा, प्रताडना से दण्डित किया गया है। इसके विरूद्व अन्तर्गत धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ द्वारा जिला बदर की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:30:49 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 1994 से 2011 तक की अवधि में कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (6), अवैध हथियार (1) एवं मारपीट (4) के तहत दर्ज हुये है। इन सभी 11 प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय से अर्थदण्डा, प्रताडना से दण्डित किया गया है। इसके विरूद्व अन्तर्गत धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल शब्बू उर्फ नाना पुत्र अब्दुल रहूफ जाति मुसलमान निवासी भौला साहब की मस्जिद के पास बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (6), अवैध हथियार (1) एवं मारपीट (4) मे न्यायालय से अर्थदण्डा, प्रताडना से दण्डित किया गया है।

अतः गैरसायल शब्बू उर्फ नाना पुत्र अब्दुल रहूफ जाति मुसलमान निवासी भौला साहब की मस्जिद के पास बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ जिला बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल शब्बू उर्फ नाना पुत्र अब्दुल रहूफ जाति मुसलमान निवासी भौला साहब की मस्जिद के पास बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 5.12.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ से बाहर [illegible] कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:30:49 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2019.12.10 13:28:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: